न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला–टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

0पत्र संख्या– 03/2020
0पत्र प्रस्तुति दिनांक–02.01.2020
र्णय दिनांक–28.10.2020

श्रीमति सन्तोक देवी पुत्री लाला धर्मपत्नि गोरधन जाति गूर्जर निवासी ग्राम डोडवाडी तह0 पीपलू हाल निवासी ग्राम हथोना तहसील टोंक (राज0)

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार, पीपलू जिला टोंक (राज0)

अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

धिवक्ता प्रार्थीया– श्री चतुर्भुज गुर्जर
धिवक्ता अप्रार्थी– तहसीलदार, पीपलू

निर्णय

दिनांक:–28.10.2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि राजी ख0न0 07 रकबा 02 बीघा ~~8~~10 बिस्वा, ख0न0 08 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा, ख0न0 94 रकबा 12 घा 13 बिस्वा, ख0न0 150 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा, ख0न0 360 रकबा 01 बीघा, ख0न0 420 रकबा 18 स्वा, ख0न0 421 रकबा 17 बिस्वा, ख0न0 434 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, ख0न0 478 रकबा 08 बिस्वा, 0न0 479 रकबा 07 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 26 बीघा 06 बिस्वा वाके ग्राम अतालिकपुरा पटवार ल्का जंवाली तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड वेदिका का 1/18 हिस्सा अंकित हैं। आवेदिका को बचपन में मोत्या के नाम से पुकारा जाता था, इसलिए सका नाम राजस्व रिकॉर्ड में गांव में बोलता नाम मोत्या अंकित कर दिया जबकि आवेदिका के नाम जो शन कार्ड, आधार कार्ड आदि बने हुए है उनमें आवेदिका का नाम संतोक देवी बताया गया है। इस प्रकार वेदिका का सही व वास्तविक नाम सन्तोक देवी हैं। आवेदिका का सही एवं वास्तविक नाम सन्तोक देवी हैं सलिए राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम मोत्या के स्थान पर आवेदिका का सही एवं वास्तविक नाम देवी अंकित र दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत हैं। उक्त त्रुटिपूर्ण रिकॉर्ड के कारण आवेदिका सरकारी जनाओं का लाभ भी प्राप्त करने से वंचित है। उक्त त्रुटी संहवन व लिपिकीय भूल के कारण हुई है। जसकों सही किया जाना न्यायोचित है। इस कारण आवश्यक एवं न्यायसंगत होने के कारण न्यायालय के मक्ष आवेदन प्रस्तुत किया हैं।

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार, पीपलू की गई तथा अप्रार्थी तहसीलदार, पलू से राजस्व रिकॉर्ड की वास्तविक एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार, पीपलू ने राजस्व रिकॉर्ड वास्तविक व तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2073-2076 ग्राम तालिकपुरा के खाता संख्या 175 में वर्णित ख0न0 कुल किता 10 कुल रकबा 26 बीघा 06 बिस्वा में प्रार्थीया त्या पुत्री लाला जाति गुर्जर हि. 1/18 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं ग्रामवासियों से पूछताछ व नकारी करने पर ग्रामवासियों ने बताया की मोत्या पुत्री लाला की शादी ग्राम हथोना तह0 टोंक में होना हुई ससुराल में मोत्या को सन्तोक देवी के नाम से पुकारा जाता है तथा वहाँ के समस्त कागजात् में प्रार्थीया नाम सन्तोक दर्ज होना बताया गया। अतः नाम दुरूस्त किया जाना नियमानुसार उचित है।

हमने बहस उभयपक्ष सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान रते हुए कहा कि उक्त वर्णित आराजीयात में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड आवेदिका का 1/18 हिस्सा अंकित आवेदिका को बचपन में मोत्या के नाम से पुकारा जाता था, इसलिए उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में गांव में लता नाम मोत्या अंकित कर दिया जबकि आवेदिका के नाम जो दस्तावेज बने हुए है उनमें आवेदिका का म संतोक देवी बताया गया है। इस प्रकार आवेदिका का सही व वास्तविक नाम सन्तोक देवी हैं। इसलिए जस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम मोत्या के स्थान पर आवेदिका का सही एवं वास्तविक नाम सन्तोक देवी अंकित र दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत हैं साथ ही प्रार्थीया अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में मनारायण पुत्र लाला जाति गुर्जर निवासी ग्राम डोडवाडी का शपथ पत्र भी पेश कर निवेदन किया कि खाता ख्या 175 में वर्णित भूमि में प्रार्थीया मोत्या देवी मेरी सहखातेदार बहिन है। जिसका नाम नाम मोत्या पुत्री ला दर्ज है जबकि मेरी बहिन को ससुराल में सन्तोक के नाम से पुकारते है तथा ससुराल में सभी स्तावेजात् में नाम सन्तोक पत्नि गोरध नही दर्ज है। मेरी बहिन को पीहर मे मोत्या व ससुराल मे सन्तोक के म से पुकारा जाता है। इन दोनो नाम की मेरी बहिन एक ही महिला है तथा उक्त नाम को लेकर भविष्य में सी प्रकार की अनियमितता पाई जाति है तो उसी समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी एवं साथ ही कार्यालय ग्राम ायत डोडवाडी का शपथ पत्र, कार्यालय ग्राम पंचायत हथोना का शपथ पत्र एवं आधार कार्ड पेश किया। क्त त्रुटी संहवन व लिपिकीय भूल के कारण हुई है। जिसकों सही किया जाना न्यायोचित है। अप्रार्थी हसीलदार, पीपलू ने उपस्थित होकर कथन किया कि वर्तमान जमाबंदी संवत् 2073-2076 ग्राम अतालिकपुरा खाता संख्या 175 में वर्णित ख0न0 कुल किता 10 कुल रकबा 26 बीघा 06 बिस्वा में प्रार्थीया मोत्या पुत्री ला जाति गुर्जर हि. 1/18 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। पूछताछ व जानकारी करने पर मवासियों ने बताया की मोत्या पुत्री लाला की शादी ग्राम हथोना तह0 टोंक में होना बताया गया। ससुराल में त्या को सन्तोक देवी के नाम से पुकारा जाता है तथा वहाँ के समस्त कागजात में सन्तोक ही नाम दर्ज ना बताया गया। अतः नाम दुरूस्त किया जाना नियमानुसार उचित है।

हमने पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया उभयपक्ष बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात आधारकार्ड , कार्यालय ग्राम पंचायत हथौना प्रमाण पत्र, कार्यालय ग्राम पंचायत डोडवाडी का प्रमाण पत्र, सह खातेदार श्री रामनारायण पुत्र लाला जाति र्जर निवासी ग्राम डोडवाडी एवं तहसीलदार, पीपलू से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर से स्पष्ठ हैं कि प्रार्थीया त्या देवी एवं सन्तोक देवी दोनो नाम की एक ही महिला है। अतः आराजी ख0न0 07 रकबा 02 बीघा 10 स्वा, ख0न0 08 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा, ख0न0 94 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा, ख0न0 150 रकबा 02 घा 04 बिस्वा, ख0न0 360 रकबा 01 बीघा, ख0न0 420 रकबा 18 बिस्वा, ख0न0 421 रकबा 17 बिस्वा, न0 434 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, ख0न0 478 रकबा 08 बिस्वा, ख0न0 479 रकबा 07 बिस्वा कुल किता कुल रकबा 26 बीघा 06 बिस्वा वाके ग्राम अतालिकपुरा पटवार हल्का जंवाली तह0 पीपलू जिला टोंक के

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

ाजस्व रिकॉर्ड में मोत्या पुत्री लाला के स्थान पर सन्तोक पुत्री लाला दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता
। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थीया
ा नाम मोत्या पुत्री लाला के स्थान पर सन्तोक पुत्री लाला दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है।
र्णय आज दिनांक 28.10.2020 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली निर्णित
ुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हों।

उप खण्ड अधिकारी

(रवि वर्मा)

उपखण्ड अधिकारी, पीपलू

जिला–टोंक

Scanned with CamScanner